

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-5-2019

-कार्यालय आग-

अतिरिक्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचित वर्ष 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से संबंधित प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अगस्त, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदन पत्र संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश आगत पूर्व/अन्य हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रश्न में अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में पत्र-3 में डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली नई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का विनियमन निर्माण किया गया-

"ए0आइ0सी0पी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा कार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।"

अब निम्नानुसार समिति संख्या 300 परिषद की निर्देशन समिति एवं विषय-विभागा द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा निर्देश समिति के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अतिरिक्त प्रवेश हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0पी0ई0/प. का/डिप्लोमा/पूर्व से अनुमोदन	परिषद द्वारा सत्र
1	27388 - कानपुर (एनई) जे.पी. विद्यालय इन कार्मसी कार्मसी, कानपुर	इंजीनियरिंग	60	2019-20 व अगुनीयित 08वा

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0पी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982 तथा अन्य विहित विधान एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विभागाय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क भीत करी।
- ✓ प्राथमिक शिक्षा परिषद के तहत 30 लखनऊ / - अतिरिक्त से शर्तों कार्मसी अनुमोदन हेतु 100- 25000.00 / - अतिरिक्त एवं एक लाख से अधिक का अनुदान से शर्तों कार्मसी अनुमोदन के अतिरिक्त हेतु 100- 25000.00 अतिरिक्त शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा।
- ✓ संस्थाओं के अतिरिक्त द्वारा/कार्मसी से शुल्क के सम्बन्ध में लखनऊ पर संलग्नक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अनुमोदन प्रकृति होने और अनुमोदन कार्मसी शिक्षा आगत आदेशों का पालन निर्धारित समिति द्वारा सत्र 2019-20 हेतु शर्त का पूर्णतःपालन किया जाता है, जो शर्तों की नवीकरण हेतु लागू होगी।

✓ one of the most important things to remember is that the...
 ✓ the first thing you should do is to...
 ✓ the second thing you should do is to...
 ✓ the third thing you should do is to...
 ✓ the fourth thing you should do is to...
 ✓ the fifth thing you should do is to...
 ✓ the sixth thing you should do is to...
 ✓ the seventh thing you should do is to...
 ✓ the eighth thing you should do is to...
 ✓ the ninth thing you should do is to...
 ✓ the tenth thing you should do is to...



